International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(II), October - December, 2022, pp. 55-59

भारत में कृषि साख के स्रोतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरिता सिंह*
अनिल कुमार नागर**

सार

जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर होने के कारण अर्थव्यवस्था का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्पादन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में कृषि में भी पूंजी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। उन्नत तकनीक और परिष्कृत आदानों के प्रयोग के कारण कृषि में उत्पादन गतिविधियों के दौरान अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है । लघु व सीमांत किसानों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और वे कृषि क्षेत्र से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मुश्किल से आय सृजित कर पाते हैं। कृषि उनके लिए जीवन निर्वाह का साधन भी बड़ी कठिनाई से बन पाती है । ऐसे में सभी किसानों को साख की आवश्यकता होती है । कृषि साख संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों ही प्रकार से उपलब्ध होती है । गैर संस्थागत साख स्रोतों में साहूकार, कमीशन एजेंट, संबंधी, भू–स्वामी व अन्य आते हैं । संस्थागत साख की अधिकांश पूर्ति व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से होती है । संस्थागत साख उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की सुविधा केंद्रीय स्तर पर नाबार्ड उपलब्ध कराता है ।

शब्दकोशः *कृषि, साख, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक, नाबार्ड।*

प्रस्तावना

कुछ संसाधनों एवं तकनीकों के सहयोग से इच्छित अंतिम वस्तु या सेवा की प्राप्ति उत्पादन कहलाता है । उत्पादन की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन होते हैं । कृषि क्षेत्र में भी विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके खाद्यान्न,तिलहन, सब्जियां आदि का उत्पादन किया जाता है । अन्य उत्पादन प्रक्रियाओं के समान ही कृषि क्षेत्र में भी पूंजी संसाधन की आवश्यकता होती है । कृषि क्षेत्र में आगत के रूप में पूंजी संसाधन के लिए कृषि साख की आवश्यकता होती है ।

कृषि साख और इसकी आवश्यकता

हरित क्रांति के परिवर्तनों के पश्चात भारत में कृषि करने के प्रारंभिक तरीकों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है । कृषि कार्यों में बाहरी आदानों के प्रति निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ती गई है । उच्च गुणवत्ता के बीज, रासायनिक खाद ,मृदा उपचार , सिंचाई के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक खेती व्यवसायिकरण की ओर उन्मुख हुई है। किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि मशीनरी सिंचाई एवं अन्य विभिन्न आगतों में निवेश करने के लिए बाहरी उधार पर निर्भरता बढ़ जाती है ।

पिछले पाँच दशकों में छोटी और सीमांत कृषि जोतों की संख्या 491 लाख (1970–71) से बढ़कर 1260 लाख (2015–16) हो गई । यह 156 प्रतिशत की भारी वृद्धि है । इसके परिणाम स्वरूप प्रति भूमि औसत संचालित क्षेत्र 2.30 हेक्टेयर (1970–71) से घटकर 1.08 हेक्टेयर (2015–16) हो गया है । इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों के बीच वर्गीकरण से पता चलता है कि कुल भूमि जोत में सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर से

* सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) एम. एस. जे. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।
** सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) एम. एस. जे. राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।

कम) की हिस्सेदारी (1970–71) में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 68.45 प्रतिशत हो गई है । जबकि छोटे किसानों (1 से 2 हेक्टेयर) की हिस्सेदारी इसी अवधि में 19 प्रतिशत से घटकर 17.6 प्रतिशत हो गई । 1970–71 से 2015–16 के मध्य सीमांत किसानों द्वारा कृषि क्षेत्रफल का हिस्सा 9 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है जबकि इसी अवधि में छोटे किसानों द्वारा कृषि क्षेत्रफल का हिस्सा 12 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया ।[1]

इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीमांत और छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है । कृषि सीढ़ी के सबसे नीचे हिस्से के रूप में इन किसानों की पूंजी निर्माण क्षमता बहुत कम होती है । वे कृषि साख की आवश्यकता बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं । छोटे व निर्धन कृषकों की बचत करने के असमर्थता के कारण उन्हें साख की अधिक आवश्यकता होती है । संस्थागत साख का जन्म जर्मनी में हुआ ।[2]

हरित क्रांति के पश्चात नई तकनीक आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली का लाभ छोटे किसान अधिक निवेश के माध्यम से उठाना चाहते हैं । साधारणतया छोटी जोत वाले भारतीय किसान की आमदनी जीवन निर्वाह के लिए बमुश्किल पर्याप्त हो पाती है । किसानों को फसल आवश्यकताओं के अतिरिक्त सामान्य उपभोग आवश्यकताओं और आकस्मिक खर्चों के लिए साख की आवश्यकता होती है । छोटे और सीमांत किसानों की कृषि कार्यों से आय उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लगभग अपर्याप्त रहती है । अतः किसानों को पर्याप्त संबल प्रदान करने के लिए और कृषि उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए कृषि साख को पर्याप्त मात्रा में और निरंतर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ।

कृषि वित्त के स्रोत

कृषि वित्त में संस्थागत और गैर संस्थागत दो प्रकार के वित्तीय स्रोत होते हैं । नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016–17 में कृषि वित्त के अंतर्गत कृषक परिवारों ने 60.5 प्रतिशत केवल संस्थागत ऋण, 30.3 प्रतिशत केवल गैर संस्थागत ऋण एवं 9.2 प्रतिशत संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों स्त्रोतों से ऋण लिया है।[3]

कृषि वित्त के गैर संस्थागत स्रोत

गैर संस्थागत कृषि वित्त स्रोतों के विभिन्न प्रकारों का विवरण निम्नानुसार है–

- **साहूकार**

ग्रामीण भारत में दो प्रकार के साहूकार प्रचलित हैं । प्रथम प्रकार के साहूकार कृषक साहूकार होते हैं । यह खेती और साहूकारी दोनों कार्य करते हैं । कृषक साहूकार का मूल कार्य खेती करना होता है परंतु सहायक गतिविधियों के रूप में वे रुपया उधार देने का कार्य भी करते हैं । दूसरे प्रकार के साहूकार व्यवसायिक साहूकार होते हैं । उनका प्रमुख कार्य ब्याज पर ऋण देना ही होता है । भारत में धीरे–धीरे ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा किसानों को नगद ऋण देने के कार्य का महत्व कम होता जा रहा है । अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण 1954 में पाया गया कि ग्राम ऋण में साहूकारों का प्रतिशत 70 है जबकि 1993 में किए गए अन्य सर्वेक्षण में यह अंश 18 प्रतिशत रह गया । नाबार्ड रिपोर्ट 2016–17 के अनुसार यह अंश 10.2 प्रतिशत रह गया। फिर भी ग्रामीण भारत में ऋण व्यवस्था में साहूकारों का महत्व बना हुआ है। इसके कई कारण हैं एक तो साहूकार उत्पादक व अनुत्पादक दोनों प्रकार के ऋण देते हैं, दूसरे अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के ऋण देते हैं ।

साहूकारों तक किसानों की पहुंच आसान होती है । साहूकार से किसान परिवार का पीढ़ियों का संपर्क रहता है । साहूकारों के ऋण प्रदान करने के तरीके सरल एवं लचीले होते हैं । स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने के कारण साहूकार भूमि और प्रोनोट दोनों के ही बदले ऋण दे सकते हैं । लचीली व्यवस्था के कारण साहूकार समय परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार ऋण प्रक्रिया और शर्तो में परिवर्तन कर सकता है । साहूकारों की ऋण प्रक्रिया कई कारणों से सुविधाजनक होने के बावजूद खामियों से भरी हुई है । वे कई प्रकार

की कटौतियाँ करते हैं, जबकि ब्याज पूरी राशि पर वसूल करते हैं । वे ऋण प्रदान करने के बाद मूल राशि में हेर–फेर करते हैं । कई बार खाली पेज पर अंगूठा निशानी लेते हैं एवं ली गई रकम से अधिक राशि इंद्राज कर लेते हैं । उनके द्वारा की गई वसूली ब्याज बहुत अधिक होती है । साहूकार कई बार गैर उत्पादक कार्यों के लिए बहुत अधिक ऋण देते हैं और उनका मुख्य मकसद छोटे और सीमांत किसानों की भूमि को हथियाना होता है । कई प्रकार की खामियों से भरा होने के बाद भी ग्रामीण भारत में साहूकारी ऋण व्यवस्था का प्रचलन बना हुआ है । इसका मुख्य कारण साहूकारों की आसान पहुंच, सरल एवं लचीली ऋण प्रक्रिया और उत्पादक व गैर उत्पादक दोनों प्रकार के उद्देश्यों के लिए साख उपलब्ध कराना है ।

- **व्यापारी एवं कमीशन एजेंट**

व्यापारी और कमीशन एजेंट फसल के तैयार होने से पूर्व उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं । वे अधिक कमीशन वसूलते हैं और किसानों को अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं । कृषि वित्त का यह गैर संस्थागत स्रोत नकदी फसलों जैसे कपास, मूंगफली, फल, तंबाकू, फलों के बगीचों आदि के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण है । व्यापारी एवं कमीशन एजेंटों का कृषि साख में हिस्सा 1951– 52 में 5.5 प्रतिशत था जो 1961 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया । यह 1993 में कम होकर 2.5 प्रतिशत और 2015 में 0.1 प्रतिशत हो गया । इनका व्यवहार भी महाजनों जैसा ही होता है । उधार की ब्याज दर बहुत अधिक एवं प्रभावों की वांछनीयता ऋणात्मक होती है ।

- **रिश्तेदार/संबंधी/मित्र**

कृषक अनौपचारिक रूप से अपने मित्रों, संबंधियों ,रिश्तेदारों से अपनी उत्पादक व अनुत्पादक दोनों तरह की आवश्यकताओं के लिए ऋण लेते हैं । इन ऋणों पर ब्याज की दर कम होती है और कई बार ब्याज नहीं लिया जाता है । यह ऋण फसल कटाई के बाद धनराशि उपलब्ध होने पर शीघ्रता से लौटा भी दिए जाते हैं, परंतु अनिश्चय की स्थिति होने के कारण किसान इस स्त्रोत के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी कृषि ऋण प्राप्त करता है । उधार लेने वाले कृषकों के लिए रिश्तेदारी से ऋण प्राप्त करना फिर भी सरल कार्य है । वर्ष 2015–16 में कृषि साख के अंतर्गत इनकी हिस्सेदारी 22.7 प्रतिशत रही है जो कि तुलनात्मक रूप से एक बड़ा अनुपातिक हिस्सा है ।

- **भूस्वामी एवं अन्य**

छोटे किसान और काश्तकार बड़े भू स्वामियों पर अपनी साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहते हैं। गैर संस्थागत साख के इस स्रोत में भी महाजनों,व्यापारियों कमीशन एजेंटों के समान दोष पाए जाते हैं। कृषि साख में भू स्वामियों का भाग 1951– 52 में 3.3 प्रतिशत था जो 1961 भारत में 14.5 प्रतिशत हो गया। यह 1993 में 4 प्रतिशत रह गया, यह 2015 में पुनः बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया।

इस प्रकार हम पाते हैं कि गैर संस्थागत कृषि साख स्रोतों में कई दोष होने के बावजूद उनका पर्याप्त महत्व बना हुआ है ।

- **कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत**

विभिन्न अध्ययनों ने यह पाया है कि कृषि में पूंजी निर्माण और संस्थागत साख में उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है । आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने और कृषि कार्यों में विविधता लाने के कारण किसानों की साख आवश्यकता में तीव्रता से वृद्धि हुई है ।[4] निकट समय में कृषि साख में भी तीव्र वृद्धि हुई है । वर्ष 2010–11 में यह 4.68 लाख करोड़ थी । जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 12.46 लाख करोड़ रुपए हो गई । सकल वार्षिक वृद्धि दर के रूप में यह 13 प्रतिशत रही । भारत में वर्तमान में कृषि साख के संस्थागत स्रोत के रूप में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं । ऋणों का प्रकार अल्पकालीन व दीर्घ कालीन दोनों प्रकार का हो सकता है । राजस्थान के संदर्भ में कुछ मात्रा में निजी बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों द्वारा भी कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं परंतु इनका भाग बहुत कम है ।

- **वाणिज्यिक बैंक**

प्रारंभ में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं शहरों तक सीमित थी । यह माना जाता रहा है कि वाणिज्यिक बैंक शहरी क्षेत्रों के व्यापार और उद्योग के लिए वित्त जुटाते हैं ।[5] 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । इसके पश्चात इन बैंकों को कृषि क्षेत्र की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने के लिए बाध्य किया गया । इसी प्रकार 15 अप्रैल 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों का समामेलन करने के पश्चात 12 वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में अधिसूचित है । भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को उनके कुल ऋणों का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है । इस संदर्भ में छोटे और सीमांत किसानों को साख उपलब्ध कराने के लिए 8 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है । इस श्रेणी में भूमिहीन कृषक श्रमिक, किराएदार, मौखिक लीज पर भूमि लेने वाले कृषक और बटाईदारी पर खेती करने वाले कृषक शामिल हैं । कुल कृषि साख में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 79 प्रतिशत रही है ।[6] अल्पकालीन कृषि साख जो कि किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में प्रदान की जाती है , वर्ष 2020–21 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता संख्यात्मक रूप में 41.61 प्रतिशत और कुल साख राशि में 60.64 प्रतिशत रही । भारत के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 4350 अरब रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गये।[7]

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई । विभिन्न राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए । 2005 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए । इसके पश्चात इनका समामेलन किया जाने लगा । वर्तमान में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देशभर में कार्यरत हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत और परिचालन करने वाले वाणिज्य बैंक द्वारा 35 प्रतिशत योगदान किया जाता है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है । वर्ष 2016–17 में कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी 05 प्रतिशत रही । वर्ष 2020–21 में अल्पकालीन कृषि साख में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी 17.47 प्रतिशत और राशि के रूप में 19.83 प्रतिशत रही । किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1494 अरब के ऋण 2020–21 में किसानों को उपलब्ध कराये गये । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समाज के कमजोर वर्गों को साख उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं परंतु ऋण वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है ।

- **सहकारी बैंक**

भारत में सहकारी बैंकों का गठन त्रिस्तरीय है । राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में प्रमुख सहकारी संस्था होती है। इसके बाद जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं। भारत में वर्तमान में 32 राज्य सहकारी बैंक हैं। 352 केंद्रीय सहकारी बैंक वर्तमान में कार्यरत हैं। राजस्थान राज्य में 1 राज्य सहकारी बैंक और 29 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं । राज्य में 6503 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं जो ग्राम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020–21 में राजस्थान के द्वारा 15235 करोड रुपए के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए।[8]

संपूर्ण भारत में वर्ष 2020–21 में किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या के रूप में 40.92 प्रतिशत कार्ड सहकारी क्षेत्र से उपलब्ध कराए गए । साख की राशि के रूप में यह 19.53 प्रतिशत रही । वर्ष 2020–21 में 1470 अरब रुपए के ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहकारी बैंकों ने उपलब्ध कराए ।

संस्थागत ऋण में छोटे व सीमांत किसानों का महत्व

सामान्यतया सभी संस्थागत ऋणों में छोटे व सीमांत किसानों को पर्याप्त महत्व दिया गया है । सभी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित सीमांत और लघु किसानों के खातों का प्रतिशत वर्ष 2016–17 में 72.06 हो गया।

वितरित राशि के मामले में सीमांत और लघु किसानों की राशि 41.51 प्रतिशत (2015–16) से बढ़कर 50.14 प्रतिशत (2016–17) हो गई । वर्ष 2015–16 में 3.80 लाख करोड रुपए से बढ़कर 2016–17 में 5.34 लाख करोड रुपए का ऋण लघु व सीमांत किसानों को वितरित किया गया । इस अवधि के दौरान लघु व सीमांत किसानों के खातों की संख्या 5.40 करोड़ से बढ़कर 7.71 करोड हो गई।

कृषि संस्थागत ऋण में नाबार्ड की भूमिका

नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी । इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि (दीर्घकालीन परिचालन) और राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण निधि को विलय करके की गई । नाबार्ड का उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करना है । यह संपूर्ण ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है । यह ग्रामीण ऋण संस्थाओं के लिए अनुपूरक निधिकरण के लिए स्त्रोत उपलब्ध कराता है । यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास उद्देश्यों के लिए राज्य भूमि विकास बैंको, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है । अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार , विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से वित्त प्राप्त करता है । यह केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉण्ड तथा ऋण पत्र जारी करके भी संसाधन जुटा सकता है । 01 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि (त्प्क्थ्) की स्थापना की गई । इस कोष के लिए उन बैंकों से अंशदान स्वीकार किया गया था जो प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को लक्ष्य के अनुरूप साख उपलब्ध नहीं करा सके थे ।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम पाते हैं कि कृषि में विविधीकरण और नवीन तकनीक आधारित उत्पादन प्रणाली के कारण साख की आवश्यकता निरन्तर बढ़ी है । लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। छोटी जोतों के कृषकों को साख उपलब्धता के लिये अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । परम्परागत स्रोत के रुप में साहूकार, महाजन, भू–स्वामी, संबंधी आदि पर छोटे किसान आश्रित रहते हैं । गैर संस्थागत स्रोतों में साख उपलब्धता को लेकर लचीलापन रहता है परंतु उनमें व्यवहारिक रूप से कई पेचीदिगियाँ है । वाणिज्यिक बैंक ,सहकारी बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संस्थागत साख उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत है । सरकार और नाबार्ड के प्रयासों से संस्थागत साख का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है । इससे सभी प्रकार के किसानों के हितों में वृद्धि हुई है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कृषि जनगणना (2015–16), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार ।
2. गोविल डॉक्टर आर. के एवं दयाल डॉक्टर एस (2013), कृषि अर्थशास्त्र,लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा , पेज–141
3. नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2016–17)
4. भॉवला हर्ष कुमार (2020) '' ईजिंग फार्म क्रेडिट फ्लो '' हैंडबुक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2020, पृष्ठ 107 – 112
5. दत्त गौरव, महाजन अश्वनी (2016), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चंद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर ,नई दिल्ली पृष्ठ– 625
6. रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एग्रीकल्चर क्रेडिट, सितंबर 2019,भारतीय रिजर्व बैंक पृष्ठ संख्या 10
7. रिपोर्ट ऑन ट्रेंडस एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ,2020–21 ,भारतीय रिजर्व बैंक ।
8. प्रगति प्रतिवेदन, 2021–22,सहकारिता विभाग ,राजस्थान सरकार ।

❖◆❖